

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सलुम्बर जिला-सलुम्बर

प्रार्थी गोविन्दलाल

विपक्षी- सरकार

किस्म मुकदमा-धारा 136 एल.आर.एक्ट.

पत्रावली संख्या- 65 / 2025

दिनांक

08/07/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र खाता दुरस्ती का पेश करने पर दर्ज किया गया।

प्रार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड मौजा करावली खाता संख्या 193 से 196 व 200 से 202, 201, 222, 457 व 29, 30 में प्रार्थी का नाम गोवर्ग पुत्र लिम्बा

अंकित है जिसे संशोधित करा गोविन्दलाल पुत्र लिम्बा अंकित किया जाने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का करावली भू.अ.निरीक्षक करावली से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार सलुम्बर द्वारा प्रार्थी का नाम गोवर्ग पुत्र लिम्बा निवासी के बजाय गोविन्दलाल पुत्र लिम्बा संशोधित किया जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः पटवारी, भू.अ.निरीक्षक एवं तहसीलदार सलुम्बर की अनुशंसा अनुसार मौजा करावली पटवार हल्का करावली की खाता संख्या 193 से 196 व 200 से 202, 201, 222, 457, 29, 30 में प्रार्थी का नाम गोविन्दलाल पुत्र लिम्बा संशोधित किया जावे। आदेश जारी किया जाकर तहसीलदार सलुम्बर को पालनार्थ आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर
उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर, जिला सलुम्बर